

Original Article

भारतीय शिक्षा परंपरा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रो.सुदेवाड एस.व्ही.

समाजशास्त्र विभाग, गोंडवाना विश्वविद्यालय, गडचिरोली.

Email: Satya291977@gmail.com

Manuscript ID:

JRD -2026-180118

ISSN: 2230-9578

Volume 18

Issue 1(A)

Pp. 87-91

January - 2026

Submitted: 16 Dec. 2025

Revised: 26 Dec. 2025

Accepted: 11 Jan. 2026

Published: 31 Jan. 2026

सारांश

भारतीय शिक्षा परंपरा विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध शिक्षा परंपराओं में से एक है। यह परंपरा सदियों से प्रवाहित होती रही है, और इसे कई परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है। भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञानार्जन, चरित्र निर्माण और समाज सेवा को महत्व देना रहा है। भारतीय शिक्षा का आधार वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में निहित है। इन ग्रंथों में जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शिक्षा में गुरु-शिष्य परंपरा का विशेष महत्व रहा है। गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है और उसके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय शिक्षा परंपरा में विभिन्न शिक्षा प्रणालियां विकसित हुई हैं, जैसे कि गुरुकुल और पाठशाला। इन प्रणालियों में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और संस्कार प्रदान करना था। भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का समागम हुआ है, जिसने भारतीय शिक्षा परंपरा को समृद्ध बनाया है। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के योगदान से भारतीय शिक्षा में विविधता आई है, और विभिन्न विषयों का अध्ययन संभव हुआ है। भारतीय शिक्षा परंपरा का महत्व आज भी बना हुआ है। भारतीय शिक्षा में निहित मूल्य और सिद्धांत आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। भारतीय शिक्षा का लक्ष्य न केवल ज्ञान प्रदान करना बल्कि विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण करना और उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कालों में भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास का अध्ययन करना एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय शिक्षा परंपरा के योगदान का मूल्यांकन करना होगा। इस अध्ययन के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और विभिन्न अध्ययनों का गहन अध्ययन किया जाएगा। यह अध्ययन भारतीय शिक्षा परंपरा की समृद्धता और विविधता को उजागर करेगा। साथ ही, यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भारतीय शिक्षा परंपरा के समावेश के महत्व को भी रेखांकित करेगा। अध्ययन के अंत में, भारतीय शिक्षा के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

मुख्य शब्द: भारतीय शिक्षा, शिक्षा परंपरा, गुरुकुल, आचार्य, वेद, उपनिषद, बौद्ध शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, वैश्वीकरण।

परिचय

Good education is the foundation of a better future.

- Elizabetha Warren



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdvrb.org/>

DOI:

10.5281/zenodo.18617335



Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

प्रो.सुदेवाड एस.व्ही., समाजशास्त्र विभाग, गोंडवाना विश्वविद्यालय, गडचिरोली.

How to cite this article:

सुदेवाड एस.व्ही. (2026). भारतीय शिक्षा परंपरा का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 87–91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18617335>

उपरोक्त वाक्य शिक्षा के महत्व को समझाता है। शिक्षा मानवी जीवन को बेहतर बनाने का एक जरिया है। शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षा का कार्य बेहतर ढंग से सोचना और जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है। इसलिये अनेक बहुत से विचारक और शिक्षाशास्त्री शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। नवी जीवन का मूल्य विकसित करने में और आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा की मदद होती है। जीवन में कठिन समय आने पर चुनौतियों का सामना करने में शिक्षा मदद मिलती है। उच्च शिक्षा लोगों को सामाजिक और पारिवारिक सम्मान और विशिष्ट पहचान हासिल करने में शिक्षा का योगदान है। शिक्षा बेहतर जीवनशैली प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। शिक्षा को भारतीय समाज की स्थिति में सुधार करने का एक साधन माना जाता है। शिक्षा को पिछड़ों के उत्थान के लिए न केवल दुनिया के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बल्कि उन्हें स्थिति हासिल करने में मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक उत्पाद के रूप में देखा जाता है।

जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास, आवश्यक साहस और आंतरिक शक्ति आवश्यक है। शिक्षा को किसी भी समाज में आय के लिए मानव संसाधनों में निवेश के रूप में भी देखा जाता है। शिक्षा की भूमिका युवाओं को नौकरियों तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा सशक्तिकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार परिवर्तन करने में मदद देती है। शिक्षा पुरुषों और महिलाओं लिए समान रूप से देना मत्वपूर्ण है इसीलिया एक स्वस्थ और सुशिक्षित समाज का निर्माण शिक्षा से होता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1 शिक्षा के मानवी मूल्य का अध्ययन करना।

2 प्राचीन भारतीय शिक्षा परंपरा का अध्ययन करना।

शोध पत्र अध्ययन पद्धति

शोध पत्र अध्ययन पद्धति द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। ऑनलाइन विभिन्न वेबसाइट, पत्रिका, किताबें आदि का उपयोग करके संबंधित विषय का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

वैदिक काल (1500-500 ईस पूर्व) शिक्षा नीतियाँ

वैदिक कालीन शिक्षा का मत्वपूर्ण उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक काल का कालावधि 1500-500 था। वैदिक कालीन शिक्षा का मत्वपूर्ण उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना था। वैदिक काल में छात्रों को अपना शारीरिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक विकास करने के पूर्ण अवसर दिये जाते थे। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य तक चरित्र के साथ-साथ व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। जिससे व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ माजिक कुशलता प्राप्त कर सके।

वैदिक काल का अध्ययन करते समय ये समझ में आता है की महिलाओं को पुरुषों की तरह समान दर्जा प्राप्त था। उन्हें शिक्षित होने और यज्ञ करने का पूरा अधिकार था। वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। मैत्रेयी जैसी कई महिला विद्वान, गार्गी वेदों और पवित्र ग्रंथों में पारंगत थीं। शिक्षित महिलाएं शिक्षक बन गईं या उपाध्यायिनियाँ और उनके संरक्षण में छात्राओं के लिए बोर्डिंग स्कूल भी उपलब्ध थे। काशी मिथिला, काँची उज्जैन, प्रयाग कैकय तन्जौर तथा आदि अनेक स्थान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे।

बौद्ध काल के दौरान शिक्षा नीतियाँ (500 ई.पू. से 1100 ई.)

बौद्ध काल के दौरान सभी जातियों के लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार था। शिक्षा देने के लिए पाठशाला स्थापित हो गई थी और शिक्षकों ने सभी जातियों के छात्रों को प्रवेश दिया। उस समय तक्षशिला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक महान प्रसिद्ध था। यही समय है दो नए धर्मों जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। संस्थापक महावीर और बुद्ध 'वेदों' की सर्वोच्चता को अस्वीकार कर दिया और जाति के भेदभाव के बिना लोगों को शिक्षा प्रदान की। लगभग 500 ई.पू. में नारी शिक्षा को महान लाभ मिला। वैदिक समारोह उपनयन लड़कियों के लिए निषिद्ध हो जाने के कारण इसे वापस ले लिया गया। धीरे-धीरे महिलाओं की धार्मिक स्थिति में गिरावट आई। बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। मठ - विहार जिसके कारण कुलीन महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ।

भारत, बर्मा, सीलोन आदि में धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार प्रसिद्ध विहार विक्रमशिला, ओदंतपुरी और जगदला थे। मनुस्मृति की रचना लगभग 200 ई.पू. में हुई थी। डॉ. राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक "धर्म और समाज" में बताया है कि मनुस्मृति श्लोक इसकी घोषणा करता है लड़कियों की शादी की रस्म के समान है। लड़कों के लिए उपनयन संस्कार यह इस बात का सूचक है। बाल विवाह समाज का आदर्श बन गया और लड़की की शादी को महत्व दिया जाने लगा। 8 वी शताब्दी में भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में नालंदा और वल्लभी विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। गणित और खगोल विज्ञान काफी उन्नत हुए। मुस्लिम आक्रमणों से पहले सदी में लगभग हर गांव में स्थानीय योगदान से समर्थित स्कूल मास्टर थे। इन हिंदू शिक्षण विद्यालय या 'पाठशालाएं' उनके यहां ब्राह्मण आचार्यों द्वारा संचालित की जाती थीं। भारत में मंदिरों का होना शिक्षा के विकास का संकेत था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि लड़कियाँ आमतौर पर घर पर ही शिक्षा दी जाती थी और व्यावसायिक शिक्षा एक प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती थी।

मुस्लिम काल के दौरान शिक्षा नीतियाँ-

भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। इससे उनकी स्थिति और हैसियत और भी खराब हो गई। हिंदू महिलाओं ने परदा या घूँघट को अपनाया। शिक्षा केवल अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों की बेटियों को ही शिक्षा दी जाती थी। रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, जहाँआरा बेगम जैसी मुगल राजकुमारियाँ शिक्षित थीं। 19वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी भारतीय शिक्षा के संस्थान या स्कूल हिंदुओं की पाठशाला और मदरसे थे। मुसलमान, दोनों के पास शिक्षा के पारंपरिक तरीके थे, संकीर्ण पाठ्यक्रम का पालन किया जाता था। उन्हें शासकों, सरदारों, वैभवशाली लोगों से सहायता प्राप्त होती थी।

ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान शिक्षा नीतियाँ

ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार उद्देश्यों के लिए 1600 के आसपास भारत पहुँची। कंपनी का नियम भारत में प्रभावी रूप से 1757 में शुरू हुआ और 1858 तक चला, जब 1857 भारतीय विद्रोह हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष नियंत्रण ग्रहण कर लिया। 1858 में भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया।

मैकाले का "मिनट अपॉन इंडियन एजुकेशन"

थॉमस बर्बिंगटन मैकाले के "मिनट अपॉन इंडियन एजुकेशन" में निम्नता देखी गई मूल (विशेष रूप से हिंदू) संस्कृति और शिक्षा (इवांस, 2002)। उनका प्रसिद्ध नोट 2 फरवरी 1835 ने इस बात पर जोर दिया कि चयनात्मक मूल निवासियों को "दुभाषियों के रूप में" शिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे और उन लाखों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं; खून और रंग से भारतीय व्यक्तियों का एक वर्ग, लेकिन स्वाद और राय में, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी।

बेंटिक की शैक्षिक नीति (शिक्षा अधिनियम 1835)

मैकाले के "मिनट" के बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 एक विधायी अधिनियम था। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अधीन पारित किया गया "यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार। के प्रयोजन के लिए सभी निधियाँ विनियोजित की गईं। शिक्षा का सर्वोत्तम उपयोग केवल शिक्षा पर ही किया जा सकता है"। इसके बाद इसका नेतृत्व हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत और पश्चिमी पाठ्यक्रम की शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी थी 1837 में अंग्रेजी ने फ़ारसी को आधिकारिक रूप से प्रतिस्थापित कर दिया। अदालत की भाषा" 1844 में हार्डिंग ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता देने की घोषणा की।

चार्ल्स वूड का खलिता (1854)

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया। इस रिपोर्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शैक्षिक कार्यों पर ध्यान स्पष्ट होता है। उस समय भारत के लोगों को पश्चिमी ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस बात पर संघर्ष खड़ा हो गया कि क्या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए अथवा नहीं इसीलिए यह विचार सामने आया कि भारत में शिक्षा का व्यापक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सर चार्ल्स वूड ने शिक्षा का खलिता जारी किया। "चार्ल्स वूड का खलिता" शिक्षा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाब है। चार्ल्स वूड खलिता के उद्देश्य भारत के लोगों को पश्चिमी ज्ञान प्राप्त करना, उनमें बौद्धिक गहराई के साथ-साथ चरित्र का भी विकास होना चाहिए और उन्हें इस बात की शिक्षा मिलनी चाहिए यह उद्देश्य थे। प्रस्ताव में सरकार का लक्ष्य पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना था। अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया लेकिन साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्रामीण स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाई के लिए प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये सी समय जिलों में हाई स्कूल स्तर पर कॉलेज शिक्षा का आरंभ हुआ। एस खलिता में शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। भारतीय लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी पर है और काफी हद तक कहा गया है।

ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा नीतियाँ (1858-1947)

ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से पहले ईसाई मिशनरियाँ फैल रही थीं। भारत की शिक्षा प्रणाली का विकास औपनिवेशिक शक्तियों की आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित किया गया था। पश्चिमी पाठ्यक्रम का समर्थन करने वाली अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। वुड्स डिस्पैच का निरंतर प्रभाव यह हुआ कि 1870 और 1882 के बीच 2,600 प्राथमिक की शिक्षा के लिए स्कूल, 81 माध्यमिक विद्यालय, 15 प्रशिक्षण संस्थान और एक कॉलेज महिलाओं की स्थापना की गई थी।

भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग (1882-83)

भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर अत्यन्त महत्वपूर्ण था। विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना हुई। इसकी नियुक्ति वायसराय लार्ड रिपन ने की। वुड्स डिस्पैच के कार्यान्वयन न होने की शिकायतों की जांच करने के लिए आयोग हंटर आयोग का निर्माण किया गया। यह पहला शिक्षा आयोग था जिसने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित करना, सार्वजनिक निधि से छात्रवृत्तियाँ स्थापित करना यह महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। चिकित्सा एक क्षेत्र के रूप में अध्ययन महिलाओं के लिए खोला गया और 1901-02 तक मेडिकल स्कूलों में 76 महिलाएँ थीं। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना के साथ शिक्षा पर नियंत्रण अंग्रेजों से भारतीयों को हस्तांतरित किया गया। एसएनडीटी भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 में बम्बई में स्थापित था। 1921-22 तक 19 महिला कॉलेज थे, 675 माध्यमिक लड़कियों के लिए स्कूल और 21,956 प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए। महात्मा के उपदेश गांधी जी ने भारतीय महिलाओं को जागृत किया और 1947 तक 59 कला एवं विज्ञान महाविद्यालय थे। महिलाओं के लिए, 21,479 प्राथमिक विद्यालय, 2,370 माध्यमिक विद्यालय और 4288 व्यावसायिक एवं महिलाओं के लिए तकनीकी संस्थान शिक्षा के लिये स्थापित थे। अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के बीच संबंध अंकुश लगाने के लिए बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण, लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति की। 1902 में सर थॉमस रैले के अधीन आयोग। सिफारिशों को अमल में लाया गया। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। कड़े विरोध के बावजूद अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम वास्तव में ये स्वदेशी संस्थानों की मान्यता रद्द करने और उन्हें विनियमित करने के उपाय थे, जो इसमें शामिल हो गए।

स्वतंत्रता के बाद के भारत के दौरान शिक्षा नीतियाँ (1947 के बाद)

1941 में पुरुष साक्षरता दर 24.9% थी जबकि महिला साक्षरता दर केवल 7.3% थी। देश में। भारत को लंबे समय के बाद 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिली। भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नियुक्ति की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948)

उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में देखा गया। विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य मानव-शक्ति को पूरा करना है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताएँ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य सुधार और विस्तार का सुझाव देना था। देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करें। महिला शिक्षा के संबंध में आयोग ने समान सुविधाएँ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। महिला महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को उसी प्रकार प्रदान किया जाता है जैसे पुरुषों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। उन्हें महिला और नागरिक दोनों मानते हुए उनके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952)

माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता डॉ. एल.एस. ने की थी। मुडिलियर. रिपोर्ट थी। 1953 में पहली संसद में पेश किया गया। इसने तकनीकी स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की, वास्तव में पॉलिटेक्निक, बहुउद्देश्यीय शिक्षा, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों आदि को मजबूत करना वह बुनियादी ढाँचा जो एक बड़ी तकनीकी जनशक्ति प्राप्त करेगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि लड़कों और लड़कियों को समान सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए सह-शिक्षा के माध्यम से शिक्षा लेकिन गृह विज्ञान शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसने उन क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल खोलने की भी सिफारिश की जहाँ आवश्यकता हो।

शिक्षा आयोग (1964-66) या 'कोठारी आयोग'

शिक्षा आयोग (1964-1966) को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता था। अध्यक्षता डॉ. डी.एस. कोठारी ने की। इस आयोग ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय विकास. इस आयोग ने भारतीयों की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया। शिक्षा और उनके विकास के सभी संभावित क्षेत्रों में व्यापक उपाय सुझाए। वित्त, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी गतिविधियों के विकास के अलावा, यह महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) (1986) के नीति लक्ष्य-

1. देश की 90% से अधिक ग्रामीण आबादी को कम दूरी पर लाना स्कूलों से निरक्षरता को मिटाने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना,
2. और वयस्क शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और खुले विद्यालयों की आवश्यकता पर जोर देना,
3. शिक्षा का व्यावसायीकरण, तथा लोगों को वैज्ञानिकता के प्रति जागृत कर विज्ञान एवं गणित को प्राथमिकता देना।

महिलाओं का स्तर ऊँचा उठाने के लिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। महिलाओं के लिए यह सिफारिश की गई है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाएँ शामिल हों। यह भी सुझाव दिया गया कि, पाठ्यपुस्तकें विशिष्टता की ओर संकेत करती हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच सुविधाएँ प्रदान करने के मामले को नए से लिखा जाना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित हुआ और 2009 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह अधिनियम शिक्षा को एक बनाता है प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Vashist, S.R. (2003). Teachers' professional education Jaipur: Mangal Deep.
2. <https://www.sanskritimagazine.com/india/traditionalknowledge-systems-of-India/>
3. www.education.gov.in
4. Dr.Salim Khan and Dr.Meeta Sharma (An Overview on Indian Knowledge System, Integrated Journal for Research in Arts and Humanities ISSN (Online): 2583-1712 Volume-4 Issue-4|| July 2024|| PP. 42-46.